न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1419

1. सहीराम पुत्र खेमचन्द जाति जाट निवासी चारावास तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू पत्नी सुनील कुमार
2. राजेश देवी पत्नी प्रदीप कुमार
3. सुशीला पत्नी धनसिंह
   समस्त जाति जाट निवासीयान चारावास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।
4. तहसीलदार (भू–अभिलेख) गुढागौडजी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।
5. सरपंच ग्राम पंचायत चारावास, पंचायत समिति खेतडी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलेक्टर झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 27.03.2025 जो अपील संख्या 3/2025 उनवानी मंजू देवी बनाम तहसीलदार गुढागौडजी जिसमें नामान्तरकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास को निरस्त करने के आदेश दिये गये।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री राज़ाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 27.04.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 27.03.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 03.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के न्यायालय में तहसीलदार गुढागौडजी के रिव्यू आदेश बाबत् नामान्तकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास, पटवार हल्का चारावास के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अदालत तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं के रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास, तहसील गुढ़ागौडजी, जिला झुंझुनूं को खारिज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2025 पारित किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. जिला कलक्टर झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 27.03.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट सहीराम पुत्र खेमचन्द द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 को बहाल रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की अन्तिम बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कानूनी स्थिति को समझे सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 पारित किया है, जो निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि नामांतरकरण संख्या 2320 दिनाक 28.12.2024 को तस्दीक करने का तहसीलदार गुढ़ागौडजी को कोई अधिकार प्राप्त नही था। क्योकि ग्राम पंचायत की मिटिंग मे नामांतरकरण प्रस्तुत होने से 45 दिन तक नामांतरकरण को तस्दीक करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत द्वारा तथा ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन की अवधि में नामांतरकरण के सबंध मे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है उसी स्थिति मे तहसीलदार को नामांतरकरण तस्दीक करने का अधिकार प्राप्त होता है। मौजूदा प्रकरण मे नामांतकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत ही नही हुआ तथा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तहसीलदार गुढ़ागौडजी ने नामांतकरण को तस्दीक कर दिया जो पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन आदेश होने पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति करने पर तहसीलदार ने अपनी कानूनी भूल मानकर उक्त आदेश को रिव्यू कर दिया जिसने किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही थी। उपरोक्त विधिक स्थिति को बिना समझे ही जिला कलेक्टर ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार गुढ़ागौडजी द्वारा नामांतरकरण संख्या 2320 दिनांक 28.12.2024 तस्दीक किया गया था उस भूमि पर ना तो विक्रेता का कोई कब्जा था तथा ना ही क्रेता का कब्जा है, बिना कब्जे के विक्रय पत्र तस्दीक करवाया था वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा कब्जे के अभाव मे नामांतकरण तस्दीक नही किया जा सकता था जिसे तहसीलदार ने अपनी भूल मानकर रिव्यू आदेश पारित किया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपने आदेश मे यह अकित किया है कि रिव्यू आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जबकि मौजूदा प्रकरण मे तहसीलदार ने सुओमोटो कानून की जानकारी कर अपने द्वारा की गई भूल को सुधारा है जिसमें किसी पक्षकार को सुना जाना कतई आवश्यक नही था। इसलिये भी जिला कलेक्टर का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि तहसीलदार द्वारा जिस नामांतकरण संख्या 2320 दिनांक 28.12.2024 को तस्दीक किया था जिसे तस्दीक करने का उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नही था तथा वो पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन आदेश था जो विधिवत तहसीलदार के संज्ञान में लाने पर उसके द्वारा उक्त आदेश को रिव्यू किया गया है जिसमें कतई कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

तहसीलदार द्वारा जो पुनरावलोकन आदेश पारित किया गया है वो पूर्णतया भू–राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है जिसमें कोई किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश दिनाक 27.03.2025 की पूर्व मे कोई जानकारी नही थी प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का बुजुर्ग व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है। प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से दिनांक 25.05.2025 को संपर्क कर प्रकरण की जानकारी की तो उनके द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने तहसीलदार के रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 को दिनांक 27.03.2025 को निरस्त कर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की अपील को स्वीकार कर लिया है इसलिये उक्त आदेश की संभागीय आयुक्त के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात बिना किसी देरी के जयपुर आकर अधिवक्ता नियुक्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। जिसमें कतई कोई लापरवाही नही है बल्कि अपील प्रस्तुत करने मे जो देरी हुई है वो सदभाविक व जानकारी के अभाव में हुई है जिसे कन्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया जाना आवश्यक है। न्यायहित मे अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उपरोक्त अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार गुढ़ागौडजी द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 को बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के न्यायालय में तहसीलदार गुढागौडजी के रिव्यू आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास, पटवार हल्का चारावास के संबंध में पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्ट्स ने पंजीकृत विक्रय पत्र के मार्फत जमीन क्रय की है। कानून से प्रभावित पक्षकार को सुनवाई अवसर दिये बिना पीठ पीछे निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। आदेश जैर बहस पारित करने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को क्षेत्राधिकार नहीं था। नामान्तकरण संख्या 2320 दिनांक 28.12.2024 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा स्वीकृत किया हुआ नहीं है। ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को उक्त आदेश को रिव्यू करने का हक नहीं है। अदालत मातहत ने रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की है। रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज नहीं किया है। रिव्यू प्रार्थना पत्र पर मुकदमा नम्बर पक्षकारान के नाम, पता दर्ज नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.12.2024 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेश जैर बहस को रिव्यू करने का हक नहीं था। अपीलान्ट्स के हक में स्वीकृत हुए नामान्तकरण से कोई राजस्व हानि हुई हो ऐसा तथ्य भी दर्ज नहीं है। अदालत मातहत ने धारा 86 भू राजस्व अधिनियम 1956 व आदेश 47 नियम 1 जा०दी० के प्रावधानों को नजरअंदाज कर रिव्यू आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है।

अदालत मातहत ने दीवान प्रक्रिया संहिता व राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल 1956 भाग द्वितीय के आदेशात्मक प्रावधानों को नजर अंदाज किया है। कानून से रिव्यू प्रकरण दर्ज होता है और उस पर मुकदमा नम्बर अंकित किये जाते हैं तथा निर्णय में पक्षकारान के नाम, पते दर्ज किये जाते हैं। अदालत मातहत ने रिव्यू प्रार्थना पत्र को बतौर मुकदमा दर्ज नहीं किया है तथा रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, 1956 भाग द्वितीय के नियम 125 के मुताबिक निर्णय में पक्षकारान के नाम पते भी दर्ज नहीं किये हैं। इस प्रकार अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर केवल मात्र 2 दिवस में निर्णय पारित किया है जो कि एक अवैधानिकता है। न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 (3) में यह व्यवस्था है कि रिव्यू का आधार 47 के नियम 1 व 2 के मुताबिक ही होगा। उक्त नियम 1 व 2 का कोई आधार निर्णय व शिकायत पत्र में नहीं है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर विधि की भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायिक कार्यवाही में यह जानते हुए कि जो आदेश विनिश्चय पारित किया जा रहा है वह विधि के प्रतिकूल है पारित कर पदीय कर्तव्य का दुरूपयोग किया है। कानून से गलत निर्णय को भी पुर्नविकलोकन के मार्फत सही नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत के समक्ष पत्रावली को देखने मात्र से कोई त्रुटि नजर आई हो ऐसा तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 बाबत नामान्तकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनूं को अपास्त किया जाने का आदेश दिया जाये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अदालत तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं के रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनूं को खारिज करने का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं को यथावत रखा जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.05.2025 को होते ही अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 287, 703, 865 कुल किता 3 कुल रकबा 6.6400 हैक्टेयर ग्राम चारावास पटवार मण्डल चारावास भू.अ.नि. वृत लोयल, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं से जरिये विक्रय पत्र क्रेता सिणगारी पुत्री जमना, जितेन्द्र पुत्र नन्दराम, सुषमा पुत्री नन्दराम से क्रय की गई थी। जिसके आधार पर तहसीलदार गुढागौडजी ने नामान्तरकरण संख्या 2320 दिनांक 28.12.2024 को तस्दीक किया गया था।

तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं ने ग्राम पंचायत चारावास के आपत्ति प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का चारावास से कराई गई। पटवारी हल्का चारावास की जांच रिपोर्ट अनुसार चारावास के खसरा नम्बर 287, 703, 865 कुल किता 3 रकबा 6.6400 है0 में से श्री जितेन्द्र पुत्र नन्दराम, श्रीमती सुषमा पुत्री नन्दराम, श्रीमती सिणगारी पुत्री जमना ने अपना–अपना हिस्सा श्रीमती मंजु पत्नि सुनिल कुमार, श्रीमती राजेश देवी पत्नि प्रदीप कुमार, श्रीमती सुशीला पत्नि धनसिंह को विक्रय पत्र रजिस्टर्ड संख्या 202403331103209 दिनांक 20.12.2024 द्वारा बराबर–बराबर बेचान किया गया था। उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 2320 दिनांक 27.12.2024 को पटवारी हल्का चारावास द्वारा दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में उक्त नामान्तरकरण संख्या 2320 सहवन से ग्राम पंचायत को Forward करने के बजाय तहसीलदार (R.O.) को Forward I.D. पर करना बताया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तरकरण पुनः ग्राम पंचायत की I.D. पर भेजने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण विक्रय पत्र के स्वीकृति बाबत् क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत चारावास का है। नामान्तरकरण संख्या 2320 राजस्व अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः नियमानुसार समय सीमा में रिव्यू किया जाना उचित है, के आधार पर ही तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुन्झुनूं ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2025 द्वारा रिपोर्ट अनुसार नामान्तरकरण पुनः भरने की शर्त पर नामान्तरकरण फर्द खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी के निर्णय दिनांक 01.01.2025 के विरूद्ध अपील हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं में की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं ने यह माना है कि अदालत मातहत ने स्वीकृत नामान्तरकरण को रिव्यू कर निरस्त करने के आदेश दिये है तथा रिव्यू आदेश जारी करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया है। अदालत मातहत के रिकार्ड के अवलोकन से अपीलान्ट्स के कथनों की पुष्टि होती है। अदालत मातहत ने कार्यालय टिप्पणी पर आदेश को रिव्यू किया है जिसे विधिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण के निस्तारण से पूर्व उसके सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुढागौडजी के रिव्यू आदेश दिनांक 01.01.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास तहसील गुढ़ागौडजी जिला झुंझुनूं को खारिज किये जाने के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2025 पारित किये गये हैं।

हमारा विनम्र मत है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 सद्भावी क्रेता है। हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 287, 703, 865 कुल किता 3 कुल रकबा 6.6400 हैक्टेयर ग्राम चारावास, पटवार मण्डल चारावास, भू.अ. नि. वृत लोयल, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं से जरिये विक्रय पत्र क्रेता सिणगारी पुत्री जमना, जितेन्द्र पुत्र नन्दराम, सुषमा पुत्री नन्दराम से क्रय की गई थी। जिसके आधार पर तहसीलदार गुढागौडजी ने नामान्तरकरण संख्या 2320 दिनांक 28.12.2024 को तस्दीक किया गया था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की विधिसम्यकता का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है तथा जब तक सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नहीं हो जाता तब तक उसके आधार पर नामांतकरण को विधिक रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौडजी ने कार्यालय टिप्पणी पर आदेश को रिव्यू किया है जिसे विधिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण के निस्तारण से पूर्व उसके सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना न्यायोचित होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं ने तहसीलदार गुढागौडजी ने रिव्यू आदेश 01.01.2025 बाबत नामान्तरकरण संख्या 2320 ग्राम चारावास तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं को खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.03.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर